संख्या : CM-421(1) /IV(2)–श0वि0–11–18(मु0मं0घो0)/09

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक : 10 जून, 2011

**विषयः नगर पंचायत, हरबर्टपुर हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनासनादेश संख्या सी0एम0–189/IV(2)–श0वि0–09–18(मु0मं0घो0)/09 दिनांक 11–8–2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पंचायत हरबर्टपुर हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 25–7–2009 को की गयी घोषणाओं के क्रम में पथ प्रकाश व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण स्थल के निर्माण एवं सफाई उपकरणों के क्रय हेतु ₹ 0.02 लाख की टोकन मनी दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा अवशेष धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व नगर पंचायत के पास पूर्व से उपलब्ध अवशेष धनराशि राजकोष में जमा करने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हरबर्टपुर के पत्र संख्या 794/अवस्थापना विकास/2006–07/10 दिनांक 18–2–2011 द्वारा ₹ 125.40 लाख की धनराशि को राजकोष में जमा कराते हुए अवगत कराया गया है कि अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत पूर्व में अवमुक्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष प्राप्त ब्याज तथा जमा की गयी धनराशि के मध्य ₹ 38.28 लाख का अन्तर आ गया है।

2– उक्त के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हरबर्टपुर के पत्र संख्या 1076/मा0मु0घो0/2010 दिनांक 9–2–2010 द्वारा प्रेषित पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु उपकरणों के क्रय हेतु प्रस्तावित ₹ 37.65 लाख तथा सफाई व्यवस्था हेतु उपकरणों के क्रय हेतु प्रस्तावित धनराशि ₹ 17.18 लाख, इस प्रकार कुल ₹ 54.83 लाख अवमुक्त करने की अपेक्षा की गयी है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की द्वारा की गयी 3 घोषणाओं में से उक्त दो घोषणाओं की पूर्ति हेतु संलग्न विवरणानुसार ₹ 54.83 लाख की

लागत के विपरीत नगर पंचायत, हरबर्टपुर के पास उक्त अन्तर की धनराशि ₹ 38.28 लाख को पुस्तक समायोजन माध्यम जमा करते हुए तथा शासनादेश दिनांक 11–8–2009 द्वारा स्वीकृत ₹ 0.02 लाख का समायोजन करते हुए वर्णित कार्यो हेतु अवशेष धनराशि **₹ 16.49 लाख (₹ सोलह लाख उनचास हजार मात्र)** मात्र को आहरण करने एवं प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष ₹ 54.83 लाख निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है : –

1. इस स्वीकृति के सापेक्ष नगर पंचायत, हरबर्टपुर की मात्र ₹ 16.49 लाख अवमुक्त किया जायेगा जबकि ₹ 38.28 लाख पुस्तक समायोजन माध्यम राजकोष में जमा एवं अवमुक्त दर्शाकर नगर पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा।
2. उक्त कार्यो को स्वीकृत धनराशि से पूर्ण किया जाएगा एवं आगणनों का पुनरीक्षण किसी दशा में नहीं किया जाएगा।
3. पथ प्रकाश एवं सफाई उपकरणों के क्रय तथा कार्य सम्पादन में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवे इसमें समय–समय पर किये गये संशोधन के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही सामग्रियों का क्रय एवं कार्य किया जायेगा।
4. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें।
5. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए। पथ प्रकाश व्यवस्था के भविष्य में प्राप्त होने वाले आवर्तक देयकों का भुगतान की वचनबद्धता सम्बन्धित नगर पंचायत की होगी और इसके लिए शासन के द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
7. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
9. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
10. कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग कार्य में किया जाये।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति के विवरण उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके न्यूनतम निविदा के सापेक्ष हुई बचत तथा क्रय की जाने वाली सामग्री के लिए स्वीकृत दरों के सापेक्ष हुई बचत की सूचना उपलब्ध करायी जायेगी एवं उक्त बचत की धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जायेगा।

12. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

13. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो दोहरा व्यय/आहरण नहीं किया जायेगा तथा दोहरी स्वीकृति से सम्बन्धित धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।

14. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

15. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।

16. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

4– ₹ 38.28 लाख को लेखा शीर्षक–0217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–800–अन्य प्राप्तियां–99–अन्य विविध प्राप्तियां में पुस्तक लेखाकंन के माध्यम से जमा दर्शाते हुए उक्त धनराशि को स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में व्यय करने हेतु समायोजित किया जायेगा। साथ ही ₹ 54.83 लाख (₹ चव्वन लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्यय के अनुसार संख्या–13 के के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जायेगा, यद्यपि इसके सापेक्ष मात्र ₹ 16.49 लाख (₹ सोलह लाख उनचास हजार मात्र) की धनराशि ही आहरित की जायेगीं

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 33/XXVII(2)/2011, दिनांक– 31 मई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

3

संलग्नः–यथोक्त्।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

शासनादेश संख्याः CM-42//IV(2)–श0वि0–11–18(मु0मं0घो0)/09 दिनांक 10 जून, 2011 का संलग्नक

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | स्वीकृत की जा रही धनराशि |
|---|---|---|
| **पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु उपकरणों का क्रय** | | |
| 1– | लिफ्टिंग मशीन टाटा 709 विद्युत वाली 09 मीटर लम्बाई | 11,12,353.00 |
| 2– | विद्युत पोल 09 मी0 लम्बाई मय फिक्सिंग कम्पलीट | 9,99,000.00 |
| 3– | फ्लड लाईट 400 वाट चारो ओर 12 मीटर लम्बाई | 5,30,000.00 |
| 4– | सोडियम लाईट 150 वाट कम्पलीट सैट मय क्लैम्प पाईप नट बोल्ट आदि सहित | 6,95,400.00 |
| 5– | सोडियम लाईट 70 वाट कम्पलीट सैट मय क्लैम्प पाईप नट बोल्ट आदि सहित | 3,71,200.00 |
| 6– | केबिल 06 एम0एम0 | 57,500.00 |
| | **योग (1)** | **37,65,453.00** |
| **सफाई व्यवस्था हेतु उपकरणों का क्रय** | | |
| 1– | टाटा 709 हाईड्रोलिक ट्रक मय डम्पर प्लेसर | 9,75,585.00 |
| 2– | कूड़ेदान जैविक अजैविक कूड़े हेतु 5x4x3 | 7,42,747.00 |
| | **योग (2)** | **17,18,332.00** |
| | **महायोग (1+2)** | **54,83,785.00** |

नोटः– शासनादेश दिनांक 11–8–2009 द्वारा रू0 0.02 लाख टोकन मनी स्वीकृत की गयी थी। अतएव अब रू0 54.81 लाख व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव